

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल दिनांक २४.७.१८

क्रमांक-एफ-३-११८/२०१६/१८-५ :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३, (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा १८ की उपधारा (३) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत पांडुर्णा निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना २०३१ में राज्य शासन द्वारा उपातंरण करने संबंधी करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा-१९ की उपधारा-२ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक २५/०७/२०१८ को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से ३० दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा —

- (१) अवर सचिव, मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष क्रमांक-३०२ बी,
तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल,
- (२) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा

१. उपांतरण का विवरण:-

प्रारूप विकास योजना पांडुर्णा २०३१ की पुस्तिका में विकास योजना रंगीन मानचित्र, कंडिका ४.१४ एवं सारणी ४—सा—९ की कंडिका-५ एवं ८ में संशोधन कर उपातंरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित उपातंरण संबंधी विस्तृत विवरण का अवलोकन बेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर किया जा सकता है।

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से ३० दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ शुभाशीष बैनर्जी) —

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
२३/७/१८

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//सूचना//

भोपाल, दिनांक १५/०८/२०१८

क्रमांक एफ 3-118/16/18-5 :: एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि, म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत पांडुर्ना निवेश क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया है :-

उपांतरण का विवरण

अ. भूमि उपयोग में उपांतरण का विवरण -

1. पांडुर्ना विकास योजना (प्रारूप) में ग्राम सावरगांव में बायपास के उत्तरी दिशा में प्रस्तावित भूमि उपयोग मिश्रित एवं वाणिज्यिक के स्थान पर समस्पर्शी भूमि उपयोग कृषि किया जाना प्रस्तावित है।
 2. पांडुर्ना विकास योजना प्रारूप में ग्राम गढ़खापा में विकास योजना में प्रस्तावित एम.आर.1 एवं वृत्तिय मार्ग के जंकशन पर आमोद-प्रमोद के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि उपयोग स्टेडियम के स्थान पर समस्पर्शी भूमि उपयोग कृषि किया जाना प्रस्तावित है।
 3. घाटोडे केम्पस नगर पालिका के सामने की भूमि का प्रस्तावित भूमि उपयोग वाणिज्यिक के स्थान पर मार्ग चौडाई के पश्चात् 30 मीटर गहराई तक वाणिज्यिक रखते हुए शेष भूमि का उपयोग आवासीय किया जाना प्रस्तावित है।
- ब.** विकास योजना की कंडिका-4.14, "बायपास मार्ग के दोनों ओर 200-200 मीटर तक स्वीकार्य गतिविधियाँ" के स्थान पर "बायपास मार्ग के दोनों ओर 200-200 मीटर तक कृषि भूमि उपयोग में स्वीकार्य गतिविधियाँ" किया जाना प्रस्तावित है।
- स.** पांडुर्ना विकास योजना प्रारूप 2031 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग में सूचना प्रौद्योगिकी, गैर प्रदूषणकारी उद्योग तथा कृषि भूमि में उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि पर्यटन सुविधा तथा भण्डारण संबंधी गतिविधियों को भी निम्न अनुसूची में दर्शित अनुसार सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।


अनुसूची						
क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका/ क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	पांदुर्ना विकास योजना प्रारूप 2031	सार्वजनिक एवं अद्वार्द्वार्द्वार्जनिक	4	4-सा-9	5	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	4	4-सा-9	8	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या -

- i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
 - ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
 - iii *** कृषि पर्यटन सुविधा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) अनुसार।
- टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक 302 वी तृतीय तल मंत्रालय भौपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राम आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(जॉ. शुभाशीष बैनजी)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
22/11/18